कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

क्रमांक/ एफ/05/सम/उत्पा./ते.प./रजि./52/013/ 1048 भोपाल, दिनांक 21/3/2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

म0प्र0

विषय :– तेन्दुपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/सम./उत्पा./रजि./ते.प./बीड़ी/122/88 दिनांक 7.01.2010 एवं पत्र क्रमांक/सम./उत्पा./रजि./ते.प./बीड़ी/52/010/466 दिनांक 1.02.2010

---::0::---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रो द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि, म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–26/02/2002/10–3 दिनांक 6.01.2009 के द्वारा म0प्र0 ते.प. (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक/8 (2) में संशोधन करते हुये " बीड़ियों के निर्माता और तेन्दुपत्ता के निर्यातक " के स्थान पर शब्द " विनिर्माता और व्यापारी " स्थापित किये गये हैं। उक्त अ.धिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/338 दिनांक 24.01.2009, पत्र क्रमांक/88 दिनांक 7.01.2010 तथा पत्र क्रमांक/466 दिनांक 1.02.2010 द्वारा शासन निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में अपर प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ के पत्र क्रमांक/वनो/उत्पा./110/3474 दिनांक 14.03.2013 द्वारा उल्लेख किया हैं कि संशोधन उपरांत वन मंडलाधिकारियों द्वारा ते.प. व्यापारियों/बीड़ी निर्माताओं का जो पंजीयन किया जाता हैं। उसमें निम्न बिन्दु स्पष्ट नहीं होतें हैं :–

1– प्रारूप "च" या "ज" उपयोग करना हैं।

2– बीड़ियो के निर्माता हैं या तेन्दुपत्ता व्यापारी।

3– प्रौप्राईटर फार्म हो तो, प्रौप्राईटर का नाम।

4– पता पूर्ण नही होता।

5– पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं रहती।

उपरोक्त त्रुटियों का सुधार करने हेतु अपने स्तर से समस्त वनमंड़लाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि पंजीयन में एकरूपता रहें।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि, ते.प. व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में शासन निर्देशानुसार संशोधित प्रमाण--पत्र जारी किये जावें एवं शासन निर्देशो का कढ़ाई से पालन करने हेतु वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंड़लाधिकारी (क्षेत्रीय) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 क्रमांक/ एफ/05/सम/उत्पा./ते.प./रजि./52/013/1049 भोपाल, दिनांक 21/3/2013

प्रतिलिपि :--

1. प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/वनो/उत्पा./110/3474 दिनांक 14.03.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
2. समस्त वनमंड़लाधिकारी (क्षेत्रीय) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल